पश्चिम मध्य रेल

कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक
कार्मिक विभाग भोपाल
दिनांक 28.12.2018

पत्रांक / :पमरे / का–भो / 136 / 1 / एक्ट अप्रै. / भर्ती

विज्ञापन कमांक 01 / 2018–19

विषयः–अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत एक्ट प्रशिक्षुओं (ट्रेड अप्रेंटिस) की भर्ती पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल।

Opening date of online application	Closing date of online applicaton
10.01.2019	09.02.2019

अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अधीन प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल में **1600** एक्ट प्रशिक्षुओ की भर्ती हेतु निम्नलिखित शर्तो को पूरा करने वाले उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है । योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 09.02.2019 तक www.mponline.gov.in पर उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन करे:–

1.अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु विभागवार निम्न कोटियों में प्रशिक्षुओ की भर्ती निम्नानुसार पदों पर होगी:–

A : शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता/– अभ्यार्थी जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2)परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित ट्रैड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT) (Total 1561 seats)

Sr. No	Trade	Number of seats					अनिवार्य शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता
		GEN	SC	ST	OBC	Total	
1	Fitter	157	46	23	84	310	मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2)परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण **तथा** संबंधित ट्रैड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT) **अथवा** सम्बंधित ट्रैड में ITI से Dual learningके माध्यम के तहत **अथवा** PMKVY/MES के तहत संबधित ट्रेड में उत्तीर्ण कोर्स
2	Welder (Gas & Electic)	52	15	08	28	103	
3	Electrician	207	61	31	110	409	
4	Wireman	31	09	04	16	60	
5	Machinist	06	02	01	03	12	
6	Carpainter	24	07	03	12	46	
7	A.C. Mechanic	06	02	01	03	12	
8	Painter	32	09	04	16	61	
9	Black Smith	12	04	02	07	25	

—2—

Sr. No	Trade	Number of seats				
		GEN	SC	ST	OBC	Total
10	Meson	22	06	03	12	43
11	Deisal Mechanic	78	23	12	42	155
12	Electronic Mechanic	33	10	05	17	65
13	Cable Joniter	04	....	....	01	5
14	Mechanic Industrial Electronics	05	01	01	03	10
15	Turner	04	01	...	02	7
16	Lineman	05	01	01	03	10
17	Plumber	05	02	01	03	11
18	Gas Cutter	05	01	....	02	8
19	Gardener	19	06	03	10	38
20	Surveyor	06	02	01	03	12
21	Draughtman Civil	05	01	01	03	10
22	Pump Opertor cum Mechanic	14	04	02	07	27
23	Furniture cum cabinit Mechanic	05	01	...	02	8
24	Pipe fitter	07	02	01	04	14
25	Fitter Stractural	02	01	..	01	4
26	Building maintenance Tech.	04	01	..	02	7
27	Architectural Assistant	05	01	..	02	8
28	Interior Decorator & Disigner	04	01	..	02	7
29	Sanitary Hardware fitter	04	01	..	02	7
30	Mechanic Mechatronics	04	01	..	02	7
31	House Keeper	05	01	01	03	10
32	Computure Oprerator & programming Asstt.	26	07	04	13	50

मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2)परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण

तथा

संबंधित ट्रैड में आई.टी.आई. उत्तीर्ण (Affilated to NCVT/SCVT)

अथवा

सम्बंधित ट्रैड में ITI से Dual learningके माध्यम के तहत

अथवा

PMKVY/MES के तहत संबधित ट्रेड में उत्तीर्ण कोर्स

B : शैक्षणिक योग्यता/पात्रता(फ्रेशेर हेतु)–अभ्यार्थी जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से दसवी या समकक्ष परीक्षा (10+2 परीक्षा प्रणाली) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण (Total 39 seats) Fresher 10th Pass (10+2)

Sr. No	Trade	Number of seats				
		GEN	SC	ST	OBC	Total
1	Fitter	16	05	02	09	32
2	Welder	03	01	...	02	6
3	Carpainter	01	..	..	..	01

नोटः– अधिसूचना मे दर्शाये गये प्रशिक्षु सीटों की संख्या अनंतिम है एवं चयन को अंतिम रूप देते समय प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार घटाई व बढाई जा सकती है।

1.1 शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों में से फिटर हेतु केवल लोको मोटर अक्षम या सेरेवल पॉलिसी एवं बहरे विकलांग उम्मीदवार जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे तथा इलेक्ट्रिशियन के पद हेतु केवल अस्थि दोष विकलांग उम्मीदवार (OH) जो 40 प्रतिशत तथा उससे अधिक हो आवेदन हेतु योग्य होंगे। विकलांगों के लिये आरक्षण नियमानुसार किया जायेगा।विकलांग उम्मीदवारों को केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया अशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत का साफ उल्लेख होना चाहिए और फोटो मेडिकल बोर्ड द्वारा सत्यापित होना चाहिये।

1.2 निम्नलिखित विवरण के अनुसार अप्रेटिस हेतु भूतपूर्व सैनिक(Ex.Servicemen) उनके बच्चों तथा आर्मड फोर्स व्यक्तियों के बच्चों हेतु 03 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। रेल्वे बोर्ड के पत्र सं.E(MPP)2002/6/10/ Dated 31.07.2006 [RBE No.101/2006]

(i) शान्ति समय के दौरान उन मृत/अक्षम सहित दिवंगत/अक्षम भूतपूर्व सेनिक/आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे
(ii) अवकाश प्राप्त सैनिक/आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे
(iii) कार्यरत जवानो /आर्मड फोर्स जवानों के बच्चे
(iv) कार्यरत सैनिक अधिकारी एवं आर्मड फोर्स अधिकारी के बच्चे
(v) भूतपूर्व सैनिक

2.आयुसीमाः–

2.1 अधिसूचना दिनांक 28.12.2018 को आवेदक 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 24 वर्ष की आयु पूर्ण न हो।

2.2 अजा/अजजा के अभ्यार्थी को 05 वर्ष तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थी को 03 वर्ष एवं शारीरिक विकलांग के अभ्यार्थी को उपरी आयु सीमा में 10 वर्ष तक की अधिकतम छुट देय है। भूतपूर्व सैनिको को भी नियमानुसार छुट रहेगी।

3.फीस :–आवेदन शुल्क के रूप में रू. 100/– एवं पोर्टल शुल्क रू. 70/+ देय GST का भुगतान करना होगा। अनु.जा., अनु.ज.जा., शारीरिक विकलांग एवं महिला उम्मीदवारों के आवेदन शुल्क देय नही है। परन्तु पोर्टल शुल्क देय होगा । फीस Non refundable होगी।

-4-

4. विकलांगो एव भूतपूर्व सैनिकों की सीटे अलग नही है बल्कि कुल सीटों की संख्या मे सम्मिलित है।

5. **पारिश्रमिक /स्टाईफन्ड**–वर्तमान प्रचलित दरों से नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

6. **आवेदन का तरीका**–

6.1 इच्छुक पात्र अभ्यार्थी www.mponline.gov.in की वेबसाईट पर Home Page में जाकर नागरिक सेवा में आवेदन या नवीनतम सूचनाओं पर क्लिक कर आवेदन कर सकते है।

6.2 आवेदन करने से पूर्व अभ्यार्थी स्वंय सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा दर्ज किया गया मोबाईल नंबर, ई–मेल आई.डी. दोनो स्वंय का हो एवं वैघ हो क्योकि उम्मीदवार से सभी प्रकार का संप्रषण ई–मेल के माध्यम से होगा। नियमित रूप से ई–मेल आई.डी की जॉच करना अभ्यर्थी की स्वंय की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध मे अलग से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

6.3 उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम, पिता का नाम, स्वंय की जन्मतिथी, 10 वीं के प्रमाणपत्र एवं अन्य समकक्ष प्रमाणपत्रों में दर्ज जानकारी समान होना चाहिए । यदि किसी भी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

6.4 यदि उम्मीदवार एक ही ट्रेड के लिए एक से अधिक आवेदन अलग–अलग विवरणों के साथ भिन्न भिन्न ई–मेल आई.डी. व मोबाईल नंबर के साथ भरने पर ऐसे उम्मीदवार का आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

7. **चयन की प्रणाली**–

7.1. आई.टी.आई एवं नॉन आई.टी.आई. उम्मीदवारों का चयन 10 वीं में प्राप्त प्रतिशत के मेरिट के आधार पर किया जायेगा। (अधिसूचना के अन्तर्गत आई.टी.आई एवं नॉन आई.टी.आई दोनों की अलग–अलग योग्यता सूचनी (Merit List) बनाई जाएगी। इसके लिए कोई लिखित परीक्ष अथवा साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा नही होगी।)

7.2. 10 वीं में प्राप्त प्रतिशत की गणना उम्मीदवार द्वारा सभी विषयों में प्राप्त अंकों, संबंधित बोर्ड के नियम के आधार पर की जाएगी। जिन बोर्ड में प्रत्येक विषय का CGPA दर्शाया जाता है उनके लिए 10 वीं में प्राप्त प्रतिशत की गणना के लिए सभी निर्धारित विषयों में प्राप्त ग्रेडों के मिडपोइंट लिया जायेगा एंव उसके औसत की गणना की जायेगी जिसमें प्रत्येक विषय के कुल अंक को 100 माना जायेगा।

7.3. यदि दो उम्मीदवार ने समान अंक प्राप्त किए है तो जो उम्मीदवार उम्र में बढा होगा उसे प्रधानता दी जाएगी। यदि दोनों की जन्मतिथि भी समान हों तो उस परिस्थिती में जिस उम्मीदवार ने पहले 10वीं कक्षा पास की है उसे प्रधानता दी जाएगी।

7.4. यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की निर्धारित संख्या उपलब्ध न हो तो वह संख्या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति सीटों के मामले मे यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हों वे अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएगी।

7.5. यदि उपरोक्त बताए तरीके से भी एस.सी./एस.टी. उम्मीदवारों की संख्या न भरी जा सके तो रिक्त सीटों को अनारक्षित उम्मीदवारो द्वारा भरा जाएगा। इसी

-5-

प्रकार अन्य पिछडा वर्ग की रिक्त सीटों को भी अनारक्षित उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

7.6. अपेक्षित एक्ट अप्रेटिस की संख्या के **4** गुणांक के बराबर उम्मीदवारों के मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा लिस्ट www.mponline.gov.inपर प्रकाशित की जायेगी एवं email द्वारा सूचित किया जायेगा। यदि इस प्रक्रिया में सीट खाली रह जाती है तो 2nd round verification के लिए वरीयता अनुसार बुलाया जायेगा।

8. **आवेदन करने वाले सभी अभ्यार्थियों को आर.डी.ए.टी. भोपाल की वेबसाईट <u>www.apprenticesip.gov.in</u> से पंजीकरण कराकर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना होगा जो दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

8.1 RDAT की वेबसाईट पर पंजीयन की प्रकिया :–

जिन आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाता है, उन सभी अभ्यार्थियों को वेबसाईट <u>www.apprenticeship.gov.in</u> पर जाकर APPRENTICE MENU के अंदर Apply for apprenticeship ऑपशन पर क्लिक करना होगा, फिर RDAT MADHYA PRDESH(BHOPAL) Region पर जाकर DIVISIONAL RAILWAY MANAGER/W.C.R./BHOPAL, के लिए apply करना होगा जिसके बाद पंजीयन संख्या प्राप्त होगी जिसे दस्तावेज सत्यापन के समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

9. सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को दैनिक भत्ता/ट्रैवलिंग या अन्य कोई भत्ता नहीं दिया जायेगा।

10. दस्तावेजों के सत्यापन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकार प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इन प्रमाण पत्रों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का साफ उल्लेख होना चाहिए। [Annexure-'A']

11. दस्तावेजो के सत्यापन के समय अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों को केन्द्रीय सरकारी प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किए गये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नही होना चाहिए |[Annexure-'B']

12. होस्टल आवास प्रदान नहीं किया जायेगा। तथा अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपनी व्यवस्था स्वंय करनी होगी।

13. **<u>एक्ट अप्रेटिस का कोर्स पास करने के बाद रेलवे मे नियुक्ति की कोई गारंटी नहीं है। यह केवल अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।</u>**

14. ट्रेनिंग का करार–ट्रेड अप्रेटिस ट्रेनिंग शुरू होने के पहले चयनित उम्मीदवार या यदि वह अभी नाबालिग है तो उसके अभिभावक का एम्प्लायर के साथ अप्रेंटिस का करार करना होगा।

14.1. यदि प्रशिक्षु एक्ट अप्रेंटिस अनुबंध के नियम एवं शर्तो का पालन करने में असमर्थ होता है तो उसका अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा और प्रशिक्षु/जमानतदार को अप्रेटिस सलाहकार द्वारा निर्धारित उसके प्रशिक्षण के उपर खर्च राशि का भुगतान करना होगा।

15. **जिन्होंने पूर्व में किसी भी संस्थान से अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया है/या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है, वे आवेदन करने के पात्र नही है।**

16. **चिकित्सा परीक्षण :–** जिन आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बलाया जाता है उन सभी आवेदको को शासकिय प्राधिकृत चिकित्सक (राजपत्रित , जो केन्द्रीय / राज्य चिकित्सालय में असिस्टेंट सर्जन के पद से नीचे न हो) द्वारा अप्रेटिस नियम

1992 के पैरा 4 (समय–समय पर संशोधित))के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा (Annexure -C) । चिकित्सा परीक्षण के मानको हेतु कृपया Annexure -D का अवलोकन करें।

17. प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर शिक्षुता करार समाप्त हो जायेगा। शिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें महा निदेशक/डायरेक्टर जनरल रोजगार प्रशिक्षण श्रम व रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्तर पर दस्तकारी परीक्षा देनी होगी । सफल उम्मीदवारों को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

18. उम्मीदवार के आवेदन की स्वीकृति या उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा । यदि यह पाया गया कि चयनित उम्मीदवार ने अपने विश्वसनीयता के सापेक्ष में गलत/झूँठी सूचना दी है, तो उन्हें किसी भी स्तर पर बिना सूचना दिये प्रशिक्षण से निकाल दिया जावेगा।

19. प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों के चयन तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में प्रशासन का निर्णय अन्तिम होगा एवं यदि उक्त प्रशिक्षुओं के चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में कोई नीतिगत परिवर्तन मुख्यालय आदि से प्राप्त होते हैं तो चयन का मापदण्ड तदानुसार अपनाया जायेगा।

20. **आवेदन के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूचीः–**

उम्मीदवारों को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वंय सत्यापित scanned copy अपलोड करने होंगेः–

20.1 SSC(Standard 10th) या समकक्ष परीक्षा की अंकसूची ।

20.2 प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथी अंकित हो (10वी का प्रमाणपत्र/समकक्ष प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथी अंकित हो) ।

20.3 NCVT/SCVT द्वारा जारी NATIONAL TRADE CERTIFICATE OR PROVISIONAL NATIONAL TRADE CERTIFICATE.

20.4 SC/ST/OBC का जाति प्रमाण–पत्र निर्धारित फारमेट (Annexure-A,B) **के अनुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।**

20.5 DISABILITY CERTIFICATE -निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

20.6 DISCHARGE CERTIFICATE/SERVING CERTIFICATE.– भूतपूर्व सैनिक कोटे के विरूद्ध आवेदन करने पर निर्धारित प्रारूप में DISCHRGE CERTIFICATE /SERVING CERTIFICATE अपलोड करना होगा।

उम्मीदवार Online माध्यम से आवेदन करने की प्रकिया के दौरान सही जानकारी देने के लिए स्वंय जिम्मेदार होगा। आवेदन के दौरान उम्मीदवार की ओर से कोई .त्रृटि हुई हो, तो प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

यदि चयन के समय यथोक्त भर्ती प्रक्रिया में नीतिगत परिवर्तन होते है तो तदानुसार चयन का मापदण्ड अपनाया जायेगा।

आवेदन करने के अंतिम दिनों में वेबसाईट ओवरलोड से बचने के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे समयसीमा के पहले अपना आवेदन आनलाईन सफलतापूर्वक भरे। यदि आनलाईन फार्म भरते समय किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न होता और समयसीमा निकल जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वंय आवेदन की होगी।

— 7 —

चयनित उम्मीदवारों की सूची पमरे की वेवसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in एवं www.mponline.gov.in में अपलोड की जायेगी तथा सभी प्रकार के पत्राचार ई–मेल द्वारा किया जायेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार का पोस्टल पत्राचार नहीं किया जायेगा।

नोटः– उम्मीदवार अपने Online भरे हुए आवेदन का प्रिंट आवश्यक अपने पास सम्भाल कर रखें, ताकि दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने पर इसे प्रमाण के तौर पर देखा जा सके। बुलाए जाने पर प्रिंट आउट के साथ ही फीस की रसीद, पहचान पत्र आधार कार्ड तथा पैन कार्ड,RDAT/ भोपाल वेबसाईट पर किये गये पंजीयन कमांक, आरक्षण के दावे हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैद्य प्रमाण पत्र, मेडीकल सर्टिफिकेट मद कमांक 16 के अनुसार व शैक्षिणिक योग्यता/ तकनीकी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति तथा 4 पासपोर्ट साईज फोटो जो ऑन लाईन आवेदन पर लोड की गई है, लेकर उपस्थित होंगे।

संलग्नः–आवश्यक निर्देश,Annexure A,B,C,& D

28/12/2018

(जे.आर.कोठारी)
कृते मं.रे.प्र.(का) भोपाल

प्रतिलिपिः–महा.प्रबंधक (कार्मिक) जबलपुर को सूचनर्थ ।
मंडल रेल प्रबंधक/अपर मंडल रेल प्रबंधक भोपाल को सूचनार्थ
संबंधित शाखा अधिकारी भोपाल मंडल को सूचनार्थ
जिला नियोजन अधिकारी भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद कको सूचनार्थ
समस्त बी.टी.सी भोपाल मंडल को सूचनार्थ
सचिव,वे.से.रे.म.संघ/वे.से.रे.एम्प.यूनियन/ओ.बी.सी/एस.सी.एस.टी. एसोसिएशन भोपाल को सूचनार्थ
निदेशक, आर.डी.ए.टी.भोपाल/कानपूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
प्राचार्य आदर्श आई.टी.आई. गोविन्दपुरा भोपाल, विदिशा, होशंगाबाद, गुना, शाजापुर खंडवा, हरदा को सूचनार्थ
मंडल रेल प्रबंधक कार्मिक कोटा,जबलपुर/मुख्य. कारखाना प्रबंधक कोटा, निशातपुरा एवं समस्त शाखा अधिकारी भोपाल
सूचना पटल ।

28/12/2018

कृते मं.रे.प्र.(का) भोपाल

आवश्यक नियम और निर्देश

- अधिसूचना में दिए सभी नियम एवं निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं ऑनलाईन आवेदन फार्म भरने से पहले आ यह सुनिश्चित कर लें कि आप आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आई.टी.आई फेल अभ्यर्थी पात्र नहीं हैं। अतः ऐसे अभ्यर्थी आवेदन न करें।
- Engineering graduate एवं Diploma holders आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- आवेदकों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे अपना ऑनलाईन आवेदन, आवेदन करने की अंतिम तिथी से काफी दिन पूर्व भर दें ताकि वेबसाईट पर heavy load/jam के कारण आवेदन submit करने में किसी भी प्रकार की विफलता की संभावना से बचा जा सके।
- दस्तावेज सत्यापन के समय सब्मिट किए गए ऑनलाईन आवेदन की मूल प्रति साथ में लानी होगी।
- यदि आवेदक की स्वयं की वैध ई–मेल आई.डी न हो तो उसे ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व स्वयं की वैध ई–मेल आई.डी बनानी आवश्यक है एवं इसे चयन प्रक्रिया के अंत तक बनाए रखना जरूरी है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनका अधिसूचना जारी होने की तिथी पर 10वीं/आई.टी.आई की परीक्षा का परिणाम awaited है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।
- शासकीय प्राधिकृत चिकित्सक(राजपत्रित) द्वारा अप्रेंटिस नियम 1992 के पैरा 4(समय–समय पर संशोधित)के अनुसार जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि केवल विज्ञापन के अनुसार ही उम्मीदवार आवेदन करें। वह विज्ञापन नोटिस को ध्यान से पढ़ लें। यदि उन्हे यह सन्तुष्टी है कि वे आवे की योग्यता की शर्तें पूरी करते हैं तथा उनके पास आवेदन के समय सभी वांछित दस्तावेज हैं तो ही एमपीआनलाईन के माध्यम से आवेदन करें। उम्मीदवार को अपना विवरण एक बार में ही भरना है। वह पूर्ण रूप से भरने के उपरांत Preview देख लें। डाटा ठीक से भरने के लिए Reset option उपलब्ध है। Submit करने के पष्चात एक रजिस्ट्रेषन संख्या आवंटित की जाएगी जिसे नोट कर लें। भरे हुए आवेदन Print out निकालकर अपने रिकार्ड और इस कार्यालय के भविष्य के प्रयोग के लिए अवष्य संभाल कर र यह भी नोट करें कि एक बार Submit option क्लिक करने के बाद आवेदक अपने बायोडाटा का Prev या Reset नहीं कर सकता है।
- फोटो और हस्ताक्षर दिये गये फोर्मेट पूर्ण कर स्कैन करें, परन्तु इस **JPEG** इमेज का साइज 150–200K अधिक न हो। फोटो नवीनतम होना चाहिए।
- आवेदक का बायोडेटा, उनके पिता से संबंधित जानकारियाँ व अन्य सभी जानकारियाँ वही होनी चा जो आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में अंकित हो। 10वी, आई.टी.आई, आधार कार्ड में स्वयं का एवं पिता नाम समान होना चाहिए।
- आवेदक के क्षेत्र के डाकघर का पिन कोड सही होना चाहिए।
- मोबाईल नं, ई–मेल आईडी दोनों स्वयं का होना चाहिए एवं वैध होना चाहिए।
- दो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत पहचान चिन्ह।
- CBSE बोर्ड से पास हुए उम्मीदवारों को दसवीं में प्राप्तांक को CGPA से formula के तहत प्रतिश बदल कर भरना होगा।
- आई.टी.आई पास उम्मीदवार को सभी सेमेस्टरों में प्राप्त अंको के कुल प्राप्तांक दर्शाना आवश्यक होगा। उम्मीदवार किसी भी एक सेमेस्टर के अंक नहीं दर्शाता है तो ऐसे आवेदन रद्द कर दिए जायेंगे।
- अपूर्ण भरे हुए आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
- सभी प्रकार के पत्राचार आवेदक के ई–मेल आईडी के माध्यम से किये जायेंगे। नियमित रूप से ई जाँचना आवेदक की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

मैंने उपरोक्त दिये गये सभी निर्देश पढ लिये हैं एवं मैं इनसे सहमत हूँ।

W.C.R.

Annexure 'A'

FORM OF CASTE CERTIFICATE FOR SC/ST CANDIDATES

The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes or Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

1. This is to certify that Shri/Smt/Kum* .... Son/Daughter* of Shri /Smt .... of village /town* .... District/Division* .... of state/Union Territory* .... belongs to the .... Caste/Tribe * which is recognized as Scheduled Caste/Schedule Tribe* under:

The Constitution (Scheduled Castes/Scheduled Tribes) order , 1950
The Constitution (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes) (Union Territories) order, 1951 [as amended by the Schedule Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganization Act 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Area (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976].
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes order, 1956.
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes order, 1959 @ as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976.
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Caste order, 1962
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes order, 1962@
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Caste order, 1964@
The Constitution Scheduled Tribes (Uttar Pradesh) order, 1967@
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Caste order , 1968@
The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes order , 1968@
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes order, 1970@
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes order, 1978@
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes order, 1978@
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes order, 1989@
The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Act, 1991@
The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996

%2. Application in the case of Scheduled Caste/Scheduled Tribe Persons who have migrated from one State/Union Territory Administration
This certificate is issued on the basis of Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificate issued to Shri/Smt/* .... Father/Mother of Shri /Smt./Kum* .... of village /town* .... District/Division* .... of state/Union Territory* .... who belongs to the .... Caste/Tribe* which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in State/Union Territory* issued by the .... dated ....
%3. Shri/Smt/Kum*.. and/ or his/her * family, ordinarily reside(s) in village/town* .... of .... District/ Division* of the State/Union Territory* of ....

Signature ....

Designation ....

(With seal of office)

Place ....
Date ....

(*) Please delete the words which are not applicable
(@) Please quote specific presidential Order
(%) Delete the Paragraph which is not applicable.

Note: The term* ordinarily resides* used will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.
** List of authorities empowered to issue Caste/Tribe certificates:

i. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/I[st] Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
ii. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
iii. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
iv. Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

Note: ST candidates belonging to Tamilnadu state should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

Annexure 'B'

The format of the certificate to be produced by <u>OTHER BACKWARD CLASSES</u> (OBC) applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri/Smt/Kum* .... Son/Daughter* of Shri/Smt .... of village /town* .... District in .... State belongs to the .... community which is recognized as backward class under .... : (indicates Sub-caste)

1) Resolution No.12011/68/93-BCC(C) dated 10th September 1993, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.186 dated 13th September 1993.
2) Resolution No.12011/9/94-BCC dated 19th October 1994, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.163 dated 20th October 1994.
3) Resolution No.12011/7/95-BCC dated 24th May 1995, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.88 dated 25th May 1995.
4) Resolution No.12011/44/96-BCC dated 6th December 1996, published in the Gazette of India – Extraordinary – part 1 Section 1, No.210 dated 11th December 1996.
5) Resolution No.12011/68/93-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.129 dated 8th July 1997.
6) Resolution No.12011/12/96-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.164 dated 1st Sept. 1997.
7) Resolution No.12011/99/94-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.236 dated 11th Dec 1997.
8) Resolution No.12011/13/97-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.239 dated 3rd Dec.1997.
9) Resolution No.12011/12/96-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.166 dated 3rd Aug.1998.
10) Resolution No.12011/68/93-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.171 dated 6th Aug.1998.
11) Resolution No.12011/68/98-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.241 dated 27th Oct.1999.
12) Resolution No.12011/88/98-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.270 dated 6th Dec.1999..
13) Resolution No.12011/36/99-BCC published in the Gazette of India – Extraordinary No.71 dated 4th April 2000.

Shri/Smt/Kum*.. and /or his/her * family ordinarily reside(s) in the ....District of the .... State. This is also to certify that he/she* **does not** belong to the persons/sections (**Creamy Layer**) mentioned in column 3 (of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training OM No.36012/22/93- Estt (SCT) dated 8/9/1993) and modified vide Government of India, Department of Personnel and Training O.M. No. 36033/3/2004/Estt.(RES.) dated 09.03.2004.

(*) Please delete the words which are not applicable

District Magistrate/
Dy. Commissioner Etc.
(With seal of office)

Place ....
Date ....

(*) Please delete the words which are not applicable

a. The term "Ordinarily reside(s)" used will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the Peoples Act, 1950.

b. Where the certificates are issued by Gazetted Officers of the Union Government or State Governments, they should be in the same form but countersigned by the District Magistrate or Dy. Commissioner (Certificate issued by Gazetted Officers and attested by District Magistrate/Deputy Commissioner are not sufficient)

c. The OBC certificate from the authorities only will be accepted:-

1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy. Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate)/ * Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
3. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

ANNEXURE –C

स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण–पत्र
MEDICAL FITNESS CERTIFICATE

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ----------पुत्र / पुत्री / पत्नी ------------का स्वास्थ्य परीक्षण अप्रेंटिस नियम 1992 के पैरा 4 में दिये मापदण्डों के अनुसार जॉच किया गया एवं इन्हें ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त घोषित किया जाता है।

दिनांक

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सील

टीपः– 1.यह प्रमाणपत्र शासकीय प्राधिकृत चिकित्सक राजपत्रित जो केन्द्रीय / राज्य चिकित्सालय में असिस्टेंट सर्जन के पद से नीचे न हो द्वारा जारी किये जाने पर ही वैध माना जायेगा।

2.चिकित्सा परीक्षण के मापदण्डों के लिये अधिसूचना कमांक 01 / 2018–19 दिनांक 28.12.2018 का ANNEXURE -D देखें।

3.स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र शासकीय चिकित्सालय के लेटर पेड पर जारी किया गया हों अन्यथा प्रमाण पत्र में चिकित्सालय का पुरा नाम पता व दूरभाष कमांक उल्लेख किया जाना अनिवार्य है।

Annexure D

Standard of physical fitness for apprenticeship training under Apprenticeship Act 1961

(1) A candidate should be free evidence of any contagious or infectious disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public. He should also be free from evidence of tuberculosis in any form, active or healed.

(2) Height, Weight And Chest

Candidates should satisfy the following minimum standards, namely:-

HEIGHT: 137 centimeters; Weight:25.4 Kilogram; Chest expansion should not be less than 3.8 centimeters irrespective of size of chest:

Provide that where a candidate does not satisfy the said minimum standards but is certified in writing by a Medical Officer not below the rank of an Assistant Surgeon (Gazetted), to be physically fit for being engaged as an apprentice in a particular trade under the Apprentices Act,1961, he may be engaged as an apprentice in that trade.

(3) EYES

There should be no evidence of any morbid condition of either eye of the lids of either eye which may be liable to risk of aggravation of recurrence.

Standard of Vision

(A) Visual acuity: *Candidates having vision in one eye shall eligible to undergo apprenticeship training except in the following seventeen trades, namely :-

(1)	Electrician Aircraft	(2)	Watch and Clock Mechanic
(3)	Driver cum Fitter	(4)	Surveyor
(5)	Process Cameraman	(6)	Sirdar
(7)	Rigger(Engg. & Chem. Industry)	(8)	Shortfirer/Blaster(Mines)
(9)	Mate(Mines)	(10)	Mech. Radio & Radar Aircraft
(11)	Ceramic Moduler	(12)	Ceramic Caster
(13)	Ceramic Kiln Operator	(14)	Ceramic Press Operator
(15)	Ceramic Modeller	(16)	Ceramic Decorator
(17)	Optical worker		

— 2 -

* Substituted vide GSR 221 dated 21st April 1993

(b) Colour vision: Not required

(4) EARS

Hearing must be good in both ears and there should be no sign of suppurative disease. No hearing aid shall be permitted.

(5) SKIN

There should be no evidence of acute or chronic skin disease or chronic ulceration.

(6) SPEECH:

Speech should preferably be without impediment.

(7) ALIMENTARY SYSTEM:

1. Candidates should have sufficient number of natural teeth (in healthy state) for mastication.
2. Spleen should not be palpably enlarged and there should be no evidence of tenderness in the splenic area.
3. Liver should not be palpable or tender.
4. There should be no oral sepsis.
5. There should be no sugar in the urine.
6. Candidates should not be suffering from haemorrhoids, fissures in and testis anal hernia or bubonocele or ischio-rectal abscess or hydrocele.

(8) CARDIO VASCULAR SYSTEM:

1. Blood pressure should not exceed 85 diastolic and 140 systolic.
2. Candidates with low blood pressure (i.e. systolic below 100) should be rejected.
3. There should be no sign of any cardiovascular disease.

(9) RESPIRATORY SYSTEM:

Candidates should be free from all diseases of respiratory system. There should be no deformity of chest which may cause impediment to breathing.

(10) GENITO URINARY SYSTEM
There should be no evidence of genito urinary disease or any abnormality.

(11) SKELETAL SYSTEM:

1. The function of all limbs should be within normal limits.
2. There should be no evidence of serious deformity of the spinal column or of the extremities.

(12) NERVOUS SYSTEM:

There should be no evidence of any disease of nervous system or of any mental disease.

(13) GLANDULAR SYSTEM:

There should be no evidence of tuberculosis or other disease of the glandular system including the endocrine glands.